

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर

अपील संख्या
12/129/2018

प्रवेश तिथि
29-06-2018

निर्णय दिनांक
16-01-2019

01-ईशाक पुत्र छुटना उर्फ पंजाबी जाति मेव निवासी ग्राम चपराड़ा, तहसील रामगढ़ जिला अलवर राज।
अपीलान्ट

बनाम

01-नायब तहसीलदार रामगढ़, जिला अलवर

रेस्पोंडेन्ट

अपील विरुद्ध निर्णय नायब तहसीलदार रामगढ़
दिनांक 22.02.2018 अन्तर्गत धारा 91 भू0
राजस्व अधिनियम प्रकरण संख्या 68/2018

उपरिथत:-

01-श्री चौधरी सरदार खां

-वकील अपीलान्ट

-निर्णय:-

अपीलान्ट ने यह अपील नायब तहसीलदार रामगढ़ के आदेश दिनांक 22.02.2018 जिसके द्वारा अपीलान्ट को ग्राम चपराड़ा की सरकारी गै0मु0 चाह भूमि के आराजी खसरा नम्बर 300/0.07 है0 पर अवैध कब्जा करने पर की गई सजा व पैनल्टी से व्यथित होकर पेश की गई है।

अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर कर रेस्पों0 को जर्जे सम्मन तलब किया गया। एवं अधीनस्थ अदालत का रिकार्ड तलब किया गया।

विद्वान् अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील में अंकित तथ्यों को बहस के दौरान दोहराते हुये निवेदन किया कि ग्राम चपराड़ा की सरकारी गै0मु0 चाह भूमि के आराजी खसरा नम्बर 300/0.07 है0 पर अपीलान्ट को अतिक्रमी मानकर बिना सुने सजा व लगान से दण्डित किया। अपीलान्ट को पश्चातवर्ति अतिक्रमी माना है जबकि पूर्व में अपीलान्ट को कभी बेदखल नहीं किया गया ना किसी प्रकार की सजा व पैनल्टी से आरोपित किया गया। अतः अपीलार्थी को सिविल कारावास व पैनल्टी से मुक्त किया जावे।


सर्व प्रथम प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून मियाद पर विचार किया गया अपीलान्ट ने आदेश दिनांक 22.02.2018 के विरुद्ध दिनांक 29.06.2018 को पेश किया। प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून मियाद में अंकित तथ्यों पर विश्वास कर अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

पत्रावली का परीक्षण किया गया। जिससे जाहिर होता है कि पटवारी हल्का के बयान छपे-छपाये साईक्लोस्टाईल प्रोफॉर्मा में लिये गये हैं। जिससे यह प्रतीत होता है कि तहसीलदार रामगढ़ द्वारा आदेश जारी करते समय विधिक प्रक्रिया नहीं अपनाई गई है तथा अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया है। अतः अपील अपीलान्ट तहसीलदार रामगढ़ को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि अपीलार्थी का सुनवाई का पूर्ण अवसर देकर पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित करें।

निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को उनके रिकार्ड के साथ भिजवाई जावे। पत्रावली फौसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावे। पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफतर की जावे।

निर्णय आज दिनांक 16-01-2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।





(अपी0जेन)
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राजस्थान)